राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 757 –दो/15 जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7-4-15	यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के अपील प्रकरण क्रमांक 439/13–14 में पारित आदेश दिनांक 02–03–2015 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गयी है। 2/ मैने प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया तथा आवेदकगण के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार ने स्थल निरीक्षण किये बिना आदेश पारित किया गया है। देवकरण विरूध्द खुमानसिंह आदि में प्रकरण क्रमांक 4/अ–13/87–88 में पारित आदेश दिनांक 07–11–94 व्दारा आवेदकगण का रास्ता खोला गया था जिसके विरूध्द सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाने से वह अंतिम हो चुका है और अनावेदकगण का आवेदनपत्र रेस–जूडिकेटा के सिध्दान्त के अनुसार तहसील न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं था। अतः उन्होंने निगरानी ग्राह्य करने का अनुरोध किया। 3/ नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक	

2

11–9–13 में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदकगण, इस प्रकरण में आवेदकगण, ने सर्वे क0 2906 पर मुरम पत्थर डालकर मान. न्यायालय व्दारा सुखाधिकार के आदेश का उल्लंघन किया है, अनावेदकगण केवल उक्त जगह से फसल आदि ला ले–जा सकते हैं, मुरम पत्थर डालकर निर्माण नहीं कर सकते हैं। अतः नायब तहसीलदार व्दारा आवेदकगण पर संहिता की धारा 132 के तहत पॉच हजार रूपये से दण्डित करते हुए सम्पूर्ण मुरम, पत्थर स्वयं दो दिवस में हटाने के आदेश दिये हैं। इस आदेश को दोनों अपीलीय न्यायालयों अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक कमशः 07–05–14 एवं 02–03–15 व्दारा यथावत रखा गया है। मैने प्रकरण में प्रस्तुत आदेश दिनांक 07–11–94 की फोटो प्रति का भी अवलोकन किया। यह प्रकरण संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत देवकरण विरूध्द खुमानसिंह के विरूध्द चला जिसमें नायब तहसीलदार व्दारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक पक्ष ने साक्ष्य या प्रमाण व्दारा ऐसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे कि वादग्रस्त मार्ग रूढ़िगत होने संबंधित विनिश्चयन किया जा सके। स्थल निरीक्षण के समय पायी गई वस्तुस्थिति को देखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि वादग्रस्त मार्ग से अनावेदक पक्ष अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य हेतु उपयोग यथावत करते रहे। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन रास्ते का कृषि कार्य हेतु उपयोग करने के

3

आदेश पूर्व में नायब तहसीलदार व्दारा दिये गये थे, किन्तु इस आदेश का उल्लंघन करने से अनावेदक के आवेदनपत्र के आधार पर विधिवत कार्यवाही करने के पश्चात आवेदकगण पर तहसील न्यायालय व्दारा पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित करते हुए मुरम व पत्थर हटाने के आदेश दिये हैं जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों व्दारा यथावत रखा गया है। ऐसी दशा में निगरानी आवेदन ग्राह्य करने का पर्याप्त आधार नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 02–03–15 तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश यथावत रखे जाते हैं। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जाय तथा राजस्व मण्डल का अभिलेख दाखिल अभिलेखागार किया जाय।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/२०१५ निगरानी 157-II-15

(१) देवकरण पिता रामलाल, उम्र ६२ वर्ष
(२) प्रेमसिंह पिता रामलाल, उम्र ६० वर्ष
(३) राकेश कुमार पिता कन्हैयालाल, उम्र ३० वर्ष
(४) अखिलेश पिता कन्हैयालाल, उम्र २७ वर्ष
(५) संतोष कुमार पिता प्रेमसिंह, उम्र ३२ वर्ष
(६) रमेश कुमार पिता प्रेमसिंह, उम्र ३५ वर्ष
समस्त जाति खाती, धंधा कृषि, निवासी ग्राम अरनियाकलां, तहसील कालापीपल जिला शाजापुर (म०प्र०)

....निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

(१) दिनेश कुमार उर्फ दिनेश खजूरिया पिता मनोहरलाल, उम्र ४० वर्ष जाति खाती धंधा नौकरी (अध्यापक)
(२) मनोहरलाल पिता रामलाल, उम्र ६५ वर्ष जाति खाती, धंधा कृषि, दोनों निवासी ग्राम अरनियाकलां तहसील कालापीपल जिला शाजापुर

.....प्रत्यर्थीगण